सचिका स0–7 / विविध–28–35 / 2023–24 – 222 (7B)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवामे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्दपटेलपथ, पटना ।

द्वारा:– सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 05/05/2026

विषय:– वित्तीय वर्ष 2026–27 में चिकित्सा उपकरण प्रबंधन एवं रख–रखाव कार्यक्रम (BMMP) के तहत चिकित्सा महाविद्यालय से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक अधिष्ठापित उपकरणों के व्यापक अनुरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के बकाया राशि का भुगतान तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल रू० 50,82,00,000/–(रूपये पचास करोड़ बेरासी लाख) मात्र की माँग के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में रू० 13,20,00,000/–(रूपये तेरह करोड़ बीस लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबध मे कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पत्रांक–3254, दिनांक–28.08.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अधिष्ठापित उपकरणों को निरंतर क्रियाशील अवस्था में रखने हेतु उपकरणो का व्यापक अनुरक्षण एव प्रबधन (Comprehensive Maintenance & Management) अनुबंध के लिए Bio-Medical Equipments Management &Maintenance Programme (BMMP)लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा निविदा के माध्यम से M/s kirloskar Technologies Pvt. Ltd. का चयन किया गया है तथा बिहार चिकित्सा सेवाये एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना एवं M/s kirloskar Technologies Pvt. Ltd.के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है।

2–वित्तीय वर्ष 2023–24 में सेवा प्रदात्ता एजेन्सी द्वारा अस्पतालों मे किये गये अभी तक के मैपिंग कार्य के अनुसार चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल एव अतिविशिष्ट चिकित्सा अस्पताल के उपकरणो का Asset Value 489,18,50,937/-तथा जिला अस्पताल से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकरणों का Asset Value 489,50,92,192/-अर्थात् कुल रू० 978,69,43,129/–मात्र का आकलन किया गया है। जबकि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक–8304, दिनांक–23.01.2023 द्वारा 1200 करोड़ रूपये Asset Value होने की संभावना व्यक्त की गयी है, जिस पर चयनित सेवा प्रदात्ता एजेन्सी के Service Charge 6.20% (including GST) एवं बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के centage सहित रू० 78,12,00,000/–मात्र व्यय का अनुमान निगम द्वारा आकलित किया गया है।

3– पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक–3491, दिनांक–01.08.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 (01.04.2025 से 31.03.2026 तक) के लिए राज्य के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अधिष्ठापित उपकरण एवं मशीन के व्यापक अनुरक्षण एवं प्रबंधन के लिए कुल रू० 1300.00 करोड़ के Asset purchase value एव उस पर 6.51 प्रतिशत (GST सहित प्रति वर्ष) की दर से Billing Amount के रूप में रू० 85.00 करोड़ के निधि की आवश्यकता है।

4– राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों यथा–चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों तथा जिला अस्पतालों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो तक बायो–मेडिकल उपकरणों के व्यापक अनुरक्षण एवं प्रबंधन का कार्य बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा चयनित सेवा प्रदात्ता एजेन्सी M/s KTPL Technologies Pvt. Ltd., New Delhi द्वारा किया जा रहा है। एकरारनामा के प्रावधानों के अनुसार BMMP कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राशि का भुगतान किया जाना है।

D:\Alpana ji\Rajayadesh\2026-27\BMMP Programme.docx

5— Asset Value मे वृद्वि की सभावना एवं कुछ पुराने उपकरणो के गारटी समाप्त होने तथा कुछ नये उपकरणो के अधिष्ठापन होने की सभावना को दृष्टिगत रखते हुये, चिकित्सा उपकरण प्रबधन एवं रख—रखाव कार्यक्रम (BMMP) के तहत चिकित्सा महाविद्यालय से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक के उपकरणो अधिष्ठापित उपकरणो के व्यापक अनुरक्षण एव प्रबधन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के बकाया राशि का भुगतान तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित कुल रू० 50,82,00,000/—(रूपये पचास करोड बेरासी लाख) मात्र की मॉग के आलोक मे प्रथम किस्त के रूप मे रू० 13,20,00,000/—(रूपये तेरह करोड बीस लाख) मात्र की व्यय निमित्त विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6— इस राशि की निकासी माग संख्या—20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष—2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष—06—लोक स्वास्थ्य, लघु शीर्ष—200—अन्य पद्धतियॉ, उपशीर्ष— 0002—जैव—चिकित्सा उपकरण प्रबधन एवं रख—रखाव कार्यक्रम (बीएमएमपी) विपत्र कोड—20—2210062000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026—27 में व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28—04) मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7— इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटनाहोंगे।

8— अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म—46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नही बल्कि खाता अतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0—PBBPLA011 विपत्रं कोड—00-8448001200027-0001 के अन्तर्गत ledger ID मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार यह सुनिश्चित हो लेगे कि संस्थानों में अधिष्ठापित उपकरणो के व्यापक अनुरक्षण एव प्रबंधन सबधी कार्य MoU मे अतर्निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है। तदोपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं अद्यतन सुसंगत परिपत्रो का अनुपालन करते हुए राशि M/s kirloskar Technologies Pvt. Ltd.नई दिल्ली को उपलब्ध करायेगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्तीय प्रावधानों एवं एकरारनामा की शर्त्त के आधार पर राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

10— राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा उक्त कार्यक्रम के नियमित अनुश्रवण एवं समुचित प्रबंधन संबधित कार्य किया जायेगा।

11— राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0—8599, दिनांक—01.10.2015 के आलोक में धन ऋण ज्ञापन/उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विधिवत् महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध करायेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम—341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी ।

12— यह व्ययादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0—2561/वि0(2) दिनांक—17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनाक—05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक—27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक—03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक—09.04.2010 एवं 12888/वि०, दिनांक—03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

13— प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है ।

14— प्रारूप में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०—7/विविध—28—35/ 2023—24 के पृष्ठ—49/टि० पर प्राप्त है।

15— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

D:\Alpana ji\Rajayadesh\2026-27\BMMP Programme.docx

ज्ञापाक –7 / विविध–28–35 / 2023–24 – 222 (7B) / स्वा0,पटना, दिनाक – 05/05/ 2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार / प्राचार्य / अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल, बिहार / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–7 बी / लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग / आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

D \Alpana ji\Rajyadesh\2026-27\BMMP Programme docx